

Dr Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan (HP)
Directorate of Extension Education

No.UHF/DEE/Tech/1/3-48(Vol.VII)16/- 1434-1534
Dated: 5/8/2022

To


The Station Director
AIR, Shimla, District Shimla (HP)

Subject: Radio Announcement for One Year Vocational Training Course on Horticulture Management (Self Employment) 2022-23.

Sir,

Kindly find enclosed herewith Admission Notice of "One Year Vocational Training Course on Horticulture Management (Self Employment)" to be organized by this University during 2022-23 at its College, Regional Horticultural Research & Training Stations and Krishi Vigyan Kendras. You are requested to give it wide publicity through repeated announcements in different programmes relayed from AIR, Shimla for information of the interested candidates.

Yours faithfully,


Director
Extension Education


Encls: as above

Endst. No. Even 1434-1534

Dated: 5/8/2022

Copy alongwith copy of Admission Notice forwarded to for information and wide publicity:

1. The Farm Radio Officer, AIR, Shimla.
2. The Director of Horticulture, Shimla.
3. All the Deputy Commissioners /Chairman, Zila Parishad of all districts in HP.
4. All the Statutory Officers/All Prof. & Heads, COH/COF, UH&F, Nauni, Solan
5. The Dean, COH&F, Neri / COH&F, Thunag.
6. All the Associate Directors(R&E), Research Stations.
7. All the Pr. Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendras.
8. All the Block Development Officers in HP.
9. Joint Director(Comm.)/Joint Director (Trg), DEE, UH&F, Nauni, Solan.
10. Incharge, CIC/PRO, UH&F, Nauni, Solan.
11. Secretary to the Vice Chancellor, UH&F, Nauni, Solan.
12. PA to the undersigned.


Director
Extension Education



डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन (हि.प्र.)
औद्यानिकी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्वरोजगार) 2022-2023

प्रवेश सूचना

हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों से एक वर्षीय औद्यानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्वरोजगार) के लिए साधारण कागज पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं जो इस विश्वविद्यालय के औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी, हमीरपुर, क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में 14 सितम्बर 2022 से आरम्भ होंगे। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र साधारण कागज पर सम्बन्धित अधिष्ठाता/सह-निदेशक/प्रभारी के कार्यालय में 20 अगस्त 2022 तक पहुंचने चाहिए। साक्षात्कार 31 अगस्त 2022 को प्रातः 10.30 बजे निम्नलिखित अधिष्ठाता/सह निदेशक/प्रभारी के कार्यालय में होंगे। 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, 7½ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 15 प्रतिशत पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।

क्र. सं.	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	जिले जहां से प्रशिक्षणार्थी आवेदन कर सकते हैं
1.	अधिष्ठाता, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी, हमीरपुर	20	हमीरपुर, ऊना और विलासपुर
2.	सह-निदेशक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जाच्छ (कांगड़ा)	20	कांगड़ा
3.	सह-निदेशक, क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बजौरा (कुल्लू)	20	कुल्लू, मण्डी और लाहौल
4.	सह-निदेशक, क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, शारबो (किन्नौर) या कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रिकांगपिओ	20	किन्नौर व स्पिती
5.	सह-निदेशक, क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोवरा (शिमला)	20	शिमला, सोलन व सिरमौर जिले की राजगढ़ व सराह (पच्छाद) तहसील
6.	सह-निदेशक, क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, धौलाकुआ (सिरमौर)	15	सिरमौर तथा सोलन जिले की नालागढ़ तहसील
7.	प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, चम्बा (सरु)	15	चम्बा

उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आयु 17-30 वर्ष के बीच हो तथा फल सब्जी, फूल, खुम्व उत्पादन व मौन पालन को अपना व्यवसाय बनाना चाहता हो तथा कृषक परिवार से सम्बन्ध रखता हो। जो उम्मीदवार अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हो, अपना सत्यापित प्रमाण पत्र जो कम से कम कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा अपना हिमाचली प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। कार्यरत उम्मीदवारों के अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों से घोषणा पत्र लिया जायेगा कि वे इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाएंगे। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा एक-एक प्रतिलिपि साथ लानी होगी। साक्षात्कार के विषय में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। ठहरने व रहने की जिम्मेवारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

निदेशक
विस्तार शिक्षा